



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 मार्च, 2024

फाल्गुन 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 87/79-वि-1-2024-2-क-5-2024

लखनऊ, 7 मार्च, 2024

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2024) जिससे आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि लोक प्रयोजनार्थ नजूल भूमियों के आरक्षण के संबंध में समान रूप से उपबंध करना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना लोकहित में समीचीन है;

और, चूँकि, नजूल भूमि से अन्तर्वर्तित मुकदमों, जिससे विविध दावे हो रहे हैं; के बाहुल्य से निपटने के लिये, ऐसी नजूल भूमि में राज्य सरकार के हितों की संरक्षा हेतु एक विधान लाना समीचीन हो गया है;

और, चूँकि, राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं।

### अध्याय—एक

#### प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1—(1) यह अध्यादेश, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें 2—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अध्यादेश में, —

(क) "नजूल" का तात्पर्य,—

(एक) कोई भी भूमि या भवन, जो सरकार द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक अभिलेख के आधार पर सरकार की संपत्ति है;

(दो) नगरों अथवा ग्रामों में या उनके निकट स्थित ऐसी समस्त संपत्तियाँ, भूमि या भवन जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 296 के अनुसार राज्य सरकार में निहित हैं;

(तीन) भूमि और/भवनों के ऐसे सभी टुकड़े जिनके संबंध में तत्कालीन सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन या तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के किसी कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अनुदान निष्पादित किया गया था;

(चार) भूमि का कोई भी टुकड़ा जो निजी भूमि नहीं है और जिसके संबंध में किसी भी विधि के लिखत के अधीन पट्टे, लाइसेंस या अधिभोग के अधिकार दिए गए हैं, जैसा कि सरकार एक अधिसूचना द्वारा घोषित करें:

परन्तु इसमें वह संपत्ति सम्मिलित नहीं होगी जो राजस्व परिषद या वन या सिंचाई विभाग के नियंत्रण में राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित है, अथवा केंद्र सरकार के रक्षा, डाक, टेलीग्राफ, रेलवे या किसी भी विभाग के नियंत्रणाधीन है।

(ख) "नजूल रजिस्टर" का तात्पर्य ऐसे रजिस्टर से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति से अनुरक्षित किया जा सकता है, जोकि विहित किया जाये;

(ग) "सार्वजनिक इकाई" का तात्पर्य केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग, अभिकरण या केंद्र या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले किसी अन्य परिकरण से है;

(घ) "निजी इकाई" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है, जो सार्वजनिक इकाई नहीं है।

### अध्याय—दो

निजी व्यक्ति या इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व का प्रतिषेध 3—(1) किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विपरीत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमि को इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात् निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(2) इस अध्यादेश के अधीन यथा परिभाषित सरकारी अनुदान अथवा नजूल भूमि से सम्बन्धित किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी किसी विधि का, इसकी व्यावृत्ति सहित या व्यावृत्ति रहित, निरसन होते हुये भी, अथवा साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमि को निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या विपरीत आदेश, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुये भी इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप में संपरिवर्तन किये जाने हेतु किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित समस्त कार्यवाहियां या आवेदन व्यपगत हो जाएंगे और अस्वीकृत समझे जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई धनराशि यदि जमा की गई है, तो ऐसे जमा किये जाने के दिनांक से उसे भारतीय स्टेट बैंक की Marginal cost of funds based lending rate (MCLR) की ब्याज दर पर आगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(4) एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का एतदपश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय नजूल भूमि पर कोई अधिकार नहीं होगा।

(5) किसी भी प्राधिकारी और/अथवा न्यायालय के समक्ष किसी भी स्तर पर लंबित समस्त दावों को इसके अधीन उपबंधित के अनुसार व्यवहृत किया जाएगा।

(6) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात् नजूल भूमि का अनुदान केवल सार्वजनिक इकाइयों को सम्यक प्रक्रिया के पश्चात् और ऐसी नीतियों और नियमों, जैसा समय-समय पर विहित किया जाये, के अनुसार किया जाएगा।

(7) नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, वे पट्टेदार बने रहेंगे।

(8) लीज अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगी और ऐसी भूमि पर राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रवेश माना जाएगा।

(9) यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि का कब्जा अभ्यर्पण नहीं करता है, तो अवैध अध्यासन को भौतिक रूप से खाली करा लिया जाएगा और पट्टे की समाप्ति के दिनांक से भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर के अनुसार अवधारित किया जायेगा और भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(10) ऐसे मामलों में जहां पट्टा समाप्त नहीं हुआ है, किन्तु पट्टेदार, पट्टे की शर्तों के अनुसार पट्टाधृत भूमि का पूर्ण या आंशिक उपयोग नहीं कर रहा है या ऐसी भूमि का उपयोग पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करके किया जा रहा है, राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर पट्टे की अवधि को कम करके या पट्टे के क्षेत्र को कम करके या दोनों को या पट्टे को समग्र रूप से रद्द करके पट्टे का उपांतरण कर सकता है :

परन्तु यह कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी सिफारिश भेजने से पूर्व पट्टाधारक को सुनवाई का अवसर उपबंधित किया जायेगा।

(11) नजूल रजिस्टर में यथा विहित रीति के अलावा कोई भी नामांतरण नहीं किया जाएगा।

आनंदीबेन पटेल  
राज्यपाल,  
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
वन्दना सिंह,  
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Najul Sampatti (Lok Prayojnarth Prabandh Aur Upyog) Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2024) promulgated by the Governor. Awas evam Shahri Niyojan Anubhag-4 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH NAZUL PROPERTIES (MANAGEMENT AND  
UTILIZATION FOR PUBLIC PURPOSES) ORDINANCE, 2024  
(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 2024)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

*to provide for reservation of Nazul properties for public purposes, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.*

WHEREAS it is expedient in the public interest to uniformly provide in regard to reservation of Nazul Lands for public purposes, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto;

AND, WHEREAS in order to deal with the multiplicity of litigations involving Nazul Lands, leading to diverse claims, it has become expedient to bring a legislation to protect the interests of the State Government in such Nazul Lands;

AND, WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent  
and  
commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Nazul Properties (Management and Utilization for Public Purposes) Ordinance, 2024.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or the context,—

(a) "Nazul" means,—

(i) any land or building which is the property of Government on the basis of public records maintained by the Government ;

(ii) all such properties, land or buildings in or near towns or villages which have vested with the State Government as per Article 296 of the Constitution of India ;

(iii) all such parcels of land and/or buildings in respect of which a Grant was executed under the erstwhile Government Grants Act, 1895 or under any executive authority of the erstwhile British Government ;

(iv) any parcel of land that is not private land and in respect of which rights of lease, license or occupancy have been granted under any instrument of law, as the Government may declare by a notification ;

but would not include property which is administered as a State property under the control of the Board of Revenue or the Forest or the Irrigation Department, or which falls under the control of the Defence, Postal, Telegraph, Railway or any Department of the Central Government.

(b) "Nazul Register" means such register that the State Government may maintain for the purposes of this Ordinance and in such manner as may be prescribed ;

(c) "Public entity" means any Central or State Government Department, agency, or other instrumentality fully owned by the Central or State Government;

(d) "Private entity" means an institution which is not a public entity .

## CHAPTER-II

3. (1) Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court to the contrary or, any other law or any Government order for the time being in force, Nazul lands located in Uttar Pradesh shall not be converted to freehold in favour of private person or private entity after commencement of this Ordinance.

Prohibition of freehold in favour of private person or entity

(2) Notwithstanding anything contained in any other law relating to Government Grants or Nazul Lands as defined under this Ordinance and notwithstanding the repeal of any such law, with or without its savings, or anything contained in section 6 of the General Clauses Act, 1897 Nazul lands located in Uttar Pradesh shall not be converted to freehold in favour of private person or private entity after commencement of this Ordinance.

(3) Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court to the contrary or, any other law or any Government Order for the time being in force, all proceedings or applications pending in any Court or before any authority seeking conversion of Nazul Land as freehold prior to commencement of this Ordinance shall lapse and shall be deemed to be rejected and money if any deposited in that regard shall be returned with interest rate equivalent to Marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India from the date of such deposit.

(4) It is hereby declared that no person shall have any right in Nazul Land except as hereinafter provided.

(5) All claims pending at whatever stage before any authority and/or Court shall be dealt with as provided hereunder.

(6) After commencement of this Ordinance , grant of Nazul land shall be done only to public entities after due process, and in accordance with such policies and rules as may be prescribed from time to time.

(7) Such leaseholders of Nazul land whose lease is still continuing and have been depositing the lease rent regularly and have not violated any conditions of lease, shall continue to be lessees .

(8) After expiry of the lease period such land shall automatically vest in State Government free from all encumbrances and such land shall be deemed to be re-entered upon by the State Government.

(9) In case the erstwhile lessee himself does not surrender the possession of such land on expiry of the lease, the illegal occupation shall be vacated physically and the ground rent from the date of expiry of the lease shall be determined as per the rate fixed by the District Magistrate and recovered as arrears of land revenue .

(10) In such cases where lease has not expired but the lessee is not utilizing the leasehold land in whole or part in accordance with conditions of the lease or such land is being used in violation of lease conditions, the State Government, on recommendation of the District Magistrate, may modify the lease by either reducing the lease period, by reducing lease area or both or altogether cancelling the lease :

Provided that opportunity of hearing shall be provided to the leaseholder by the District Magistrate before sending his recommendation.

(11) No mutation shall be carried out in Nazul register except in the manner as prescribed.

ANANDIBEN PATEL  
*Governor,  
Uttar Pradesh.*

By order,  
VANDANA SINGH,  
*Vishesh sachiv,  
evam Apar Vidhi Pramarsi.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1154 राजपत्र-2024-(3183)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 180 सा० विधायी-2024-(3184)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।